न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 208/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कार्यवाहक तहसीलदार चाकसू

बनाम

1. श्री अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल रहीम, मालिक मैसर्स राजू मशीनरी वर्क्स निवासी इंदिरा बाजार, चाकसू।
2. श्री राजू मिस्त्री पुत्र रज्जाक निवासी वार्ड नं. 3, चाकसू।

4. निर्णय दिनांक : 02.11.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी कार्यवाहक तहसीलदार चाकसू, श्री युगान्तर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.06.2011 को मैसर्स राजू मशीनरी वर्क्स के सामने वाली दुकान पर पहुंचे जो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किराये से ली हुई थी। मौके पर दुकान बंद थी एवं कार्यकर्ता के पास चाबी नहीं थी । तदुपरान्त मकान मालिक की उपस्थिति में दुकान का ताला तुडवाया गया। दौराने जांच दुकान से 4 ड्रम मय काला तेल व 9 ड्रम मय 1980 लीटर नीला केरोसीन कुल 13 ड्रम जब्त किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से केरोसीन का भण्डारण व क्रय–विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा केरोसीन की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.09.2011 को अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश दत्त शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण द्वारा दिनांक 20.12.2011 पेश जवाब मे अंकित किया कि उनका उक्त जब्त केरोसीन से कोई संबंध नही है ना ही उक्त सामान अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त किया है। दिनांक 20.12.2011 को अमीन पुत्र हफीज ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को उचित मूल्य दुकानदार बताते हुये उक्त जब्त माल का स्वामी होना अंकित किया एवं दुकान की मरम्मत होने के कारण अपने पिता की किराये ली हुयी उक्त दुकान से वितरण करना जारी किया। साथ ही जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण व उपखण्ड अधिकारी सांगानेर को सूचना दी। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण लम्बे समय तक बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 02.11.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 25.06.2011 को जब्त केरोसीन का अवैध भण्डारण व क्रय–विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब में उक्त जब्त केरोसीन से अपना संबंध नहीं होना एवं उनके कब्जे से जब्त नहीं होना बताया। जबकि जब्ती की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 की उपस्थिति में हुयी साथ ही उन्होंने बयान दिया कि उक्त तेल मशीनरी को धोने व बेचने के काम में लिया जाता है। उचित मूल्य दुकानदार आमीन ने स्वयं के दुकान की स्वामित्तता से संबंधित एवं केरोसीन की आमद–रफद के कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। श्री आमीन द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार अपनी दुकान की मरम्मत होने के कारण अन्यत्र से राशन के केरोसीन की बिक्री किये जाने संबंधित अनुमति पेश नहीं की ना ही पुनः जांच संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त तथ्यों से श्री आमीन का उचित मूल्य दुकानदार होना एवं उक्त जब्त केरोसीन का स्वामी होना पुष्ट नहीं होता है। अप्रार्थीगण ने केरोसीन की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये। जिससे अप्रार्थी का अवैध कारोबार करना पुष्ट होता है। अतः उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा फर्द अभिग्रहण के अनुसार जब्त 4 ड्रम मय काला तेल व 9 ड्रम मय 1977 लीटर(सेम्पल लेने के बाद) नीला केरोसीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III